संख्या-13/2018/1179/92-1-2018-6ब/2017

प्रेषक,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 05 अप्रैल, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा हेतु अधिष्ठान के विभिन्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-03/ग्रा0अ0वि0/अधि0बजट/2018-19, दिनांक 04 अप्रैल, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा हेतु अधिष्ठान के विभिन्न मानक मदों में मतदेय मद के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 44274.95 लाख (रूपये चार अरब बयालिस करोड़ चौहत्तर लाख पन्चानवे हजार मात्र) एवं भारित मद के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि 7.50 लाख (रूपये सात लाख पचास हजार मात्र) कुल धनराशि रू0 44282.45 लाख (रूपये चार अरब बयालिस करोड़ बयासी लाख पैंतालीस हजार मात्र) निम्नांकित विवरणनुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	अवमुक्त धनराशि (धनराशि लाख रू0 में)
1	4
01-वेतन	35651.86

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

02-मजदूरी	350.00
03-मंहगाई भत्ता	3565.19
04-यात्रा व्यय	60.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	20.00
06-अन्य भत्ते	1705.00
08-कार्यालय व्यय	10.00
09-विद्युत देय	70.00
10-जलकर/जलप्रभार	15.00
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	8.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10.00
13-टेलीफोन पर व्यय	11.83
14- मोटर गाडियों का क्रय	30.00
15- गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	50.00
16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	10.00
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	30.00
29- अनुरक्षण	40.00
42-अन्य व्यय	50.00
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	60.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	3.00
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	10.00
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	5.00
49-चिकित्सा व्यय	300.00
51-वर्दी व्यय	1.00
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	2209.07
योग:-	**44274.95**
भारित 42-अन्य व्यय	7.50
कुल योग:-	**44282.45**

3- स्वीकृत/अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यो/मदों में धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

4- स्वीकृत/अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनॉक 30 मार्च, 2018 में निहित निर्देशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा एवं मितव्ययता से सम्बन्धित मदों में आवंटित धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। जिन मदों में व्यय के पूर्व शासन के अनुमोदन की आवश्यकता हो उन पर बिना शासन की पूर्वानुमोदन के व्यय नहीं किया जायेगा।

5- उपरोक्त स्वीकृत/अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष प्रत्येक माह के मासिक व्यय विवरण की सूचना नियमानुसार महालेखाकार कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद के साथ-साथ वित्त विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 शासन को निर्धारित प्रारूप (बी0एम0-08) पर अनिवार्य/नियमित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक प्राधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षमप्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन "लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनॉक 30 मार्च, 2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मो0 इफ्तेखारूद्दीन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-13/2018/1179/92-1-2018-तद्दिनॉक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन ।
7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in